

राजस्थान सरकार
(आय-व्ययक अनुभाग)
वित्त विभाग

क्रमांक प.5(2)वित्त-1(1)आ.व्य./2014

जयपुर, दिनांक : 4 मार्च, 2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग


मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /
जल संसाधन विभाग / इंदिरा गांधी नहर परियोजना (बीकानेर / जैसलमेर) /
संचित क्षेत्र विकास (चम्बल / बीकानेर)

विषय :- माह मार्च, 2015 में साख सीमा के चैक जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वित्त विभाग द्वारा जारी की गई साख सीमा के संबंध में मार्च, 2015 के दौरान सभी कार्य दिवसों में चैक जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय




(शरद मेहरा)

विशेषाधिकारी, वित्त (बजट)

क्रमांक एफ 3(3) प्रमुखसं/लेखा/बजट/2014-15/ 10506-586 दिनांक : 31/3/2015

प्रतिलिपि :- समस्त वनाधिकारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के पत्र दिनांक 04.03.2015 के अनुसार साख-सीमा का उपयोग मार्च-2015 के दौरान सभी कार्य दिवसों के लिए बैंक जारी किये जा सकेंगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर